



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 29 सितम्बर, 2024

थाना गुलावठी

अवैध पटाखे बनाने की सामग्री व उपकरण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2024 को थाना गुलावठी पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर कस्बा गुलावठी के मौहल्ला नन्नू खां में निर्माणाधीन मकान से एक अभियुक्त को अवैध पटाखे बनाने की सामग्री व उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गुलावठी पर मुअसं- 358/24 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अरशद पुत्र नसीम निवासी लुहारो वाली गली मौहल्ला नन्नू खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 02 प्रेस मशीन (पटाखों की तली में रेत व फेविकोल का दबाव बनाकर पैक करने की)
- 2- 01 डिजिटल कांटा (50 किलो क्षमता का)
- 3- 10,000 अधबनी कैण्डल
- 4- 58 अनार सैल (बने हुये बिना रेपर के)
- 5- 650 अनार सैल अधबने
- 6- 700 पैकिट बर्थ डे कैण्डल (बनी हुई)
- 7- 15 किलो ग्राम मेटल पाऊडर
- 8- 50 किलो कोटन
- 9- 20 किलो गोन्द
- 10- 10 किलो फेविकोल
- 11- गत्ते कार्टून पैकिंग वाले
- 12- 01 पट्टी का कटटा

गिरफ्तार अभियुक्त अरशद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 646/20 धारा 5/9ख विस्फोटक अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 358/24 धारा 5/9ख विस्फोटक अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्रीमती सुनिता मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी
2. उ०नि० राजवीर सिंह
3. है०का० अंकुर चिकारा, है०का० रोबिन, है०का० अरुण कुमार,
का० अमित कुमार, का० राकेश कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर